



झारखण्ड सरकार  
नगर विकास विभाग

अधिसूचना

संख्या-5/नंवि०/विविध/141/2012..... राँची, दिनांक-.....  
झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अध्याय-46 सह पठित धारा-600 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-155 (1) के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्रों में धर्मशाला, विवाह भवन आदि के व्यवस्थित रूप से निर्माण, संचालन एवं नियंत्रण के लिए "झारखण्ड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall)/बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall), लॉज एवं होस्टल निर्माण और अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013" अधिसूचित करते हैं। यह नियमावली 1ली अप्रैल, 2013 के प्रभाव में लागू होगी।  
झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(डॉ० नितिन कुलकर्णी)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापक-5/नंवि०/विविध/141/2012..... राँची, दिनांक-.....  
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को राजनार्थ एवं राजकीय मन्त्रालयों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

~~प्रकाशनोपशान्त अधिसूचना की 250 प्रतियाँ विभाग में उपलब्ध करायी जाय।~~

ह०/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापक-5/नंवि०/विविध/141/2012..... राँची, दिनांक-.....  
प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/महामहिम राज्यपाल के सलाहकार, नगर विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापक-5/नंवि०/विविध/141/2012..... राँची, दिनांक-.....  
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग झारखण्ड/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी एवं निम्न पदाधिकारी शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
राँची नगर निगम, राँची

सरकार के सचिव।



(6) (14)

झारखण्ड शहरी क्षेत्र "धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall), / बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall), लॉज एवं हॉस्टल निर्माण और अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013"

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-155 (1) एवं धारा-590 में प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

(क) यह नियमावली झारखण्ड शहरी क्षेत्र " धर्मशाला, विवाह भवन / बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall), लॉज एवं हॉस्टल निर्माण और अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013" कहलायेगी।

(ख) यह झारखण्ड राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में अक्षरसूचना निर्भर की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा:- जबतक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में:-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है:- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011

(ख) "विभाग" से अभिप्रेत है:- नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।

(ग) "नगर निकाय" से अभिप्रेत है:- झारखण्ड राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकाय।

(घ) "अनुज्ञप्ति पदाधिकारी" से अभिप्रेत है:- नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी।

(ङ) "मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी" से अभिप्रेत है:- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-55(1) में विहित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी।

(च) "वित्तीय वर्ष" का अभिप्रेत है:- पहली अप्रैल से मार्च की अंतिम तिथि।

(छ) "धर्मशाला" से अभिप्रेत है:- ऐसा भवन, जो सार्वजनिक स्तर से परामर्श या समर्थन के उद्देश्य से निर्मित है एवं किसी व्यक्ति अथवा संस्था को व्युत्पन्न किराये पर रहने या सामाजिक क्रिया-कलाप के लिए दिये जाते हैं।

(ज) "विवाह भवन (Marriage Hall) / बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall)" से अभिप्रेत है:- ऐसा भवन या जगह, जो सार्वजनिक रूप से सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों अथवा - शादी, जन्मदिन अथवा अन्य समारोह आयोजित करना एवं दावत, भोजन, बंदक इत्यादि कार्यों के लिये किसी व्यक्ति एवं संस्था को किराये पर दिये जाते हैं।



(झ) "होटल" से अभिप्रेत है—ऐसा भवन या जगह जहाँ भोजनालय, आवास—पूरे दानव हॉल, विवाह हॉल, रेस्टोरेंट या कोई दूसरा हॉल या क्लब या सोसाइटी, जिसमें पूरा परिसर/मैदान या कोर्ट-गार्ड, जो खुला या अथवा छि और रस्ता (होटल में या अन्यथा) भी सम्मिलित है, जहाँ किसी व्यक्ति को भोजन एवं आवास या विलासिता युक्त आवासीय सुविधा किराये पर दी जा जाती है।

(ञ) "लॉज" से अभिप्रेत है— ऐसा भवन, जिसका पूर्णतः या अंशतः भाग को अस्थायी रूप से आवासीय सुविधा किराये पर दिया जाता है।

(ट) "हॉस्टल" से अभिप्रेत है— ऐसा भवन, जिसका उपयोग विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा किराये पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

3. धर्मशाला, विवाह भवन/बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall), लॉज एवं हॉस्टल निर्माण में निम्नांकित मानकों ध्यान में रखे जायेंगे—

(क) पर्याप्त जगह,

(ख) बिजली एवं प्रकाश की समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था,

(ग) जलपूर्ति की व्यवस्था,

(घ) आग्निशमन सुरक्षा,

(ङ) प्रवेश और निकास की समुचित व्यवस्था,

(च) आकरिमकता की स्थिति से निपटने की पर्याप्त व्यवस्था,

(छ) पाकिंग की व्यवस्था,

(ज) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था,

(झ) स्त्री एवं पुरुष के लिए शौचालय की व्यवस्था,

(ञ) भोजन बनाने की सुविधा उपलब्ध रहने की स्थिति में धुआँ निकास एवं प्रदूषण नियंत्रण की समुचित व्यवस्था।

4. धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall)/बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall), लॉज एवं हॉस्टल के निर्माण की प्रक्रिया—

(क) धर्मशाला, विवाह भवन/बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall), लॉज एवं हॉस्टल निर्माण की अनुमति हेतु संचालक द्वारा संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/नगर पदाधिकारी के समक्ष भूमि के स्वामित्व संबंधी अभिलेख सहित भवन निर्माण के साथ आशय प्रस्तुत करना होगा।



(ख) प्राप्त सभी आवेदन पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निकाय के तकनीकी एवं स्वास्थ्य शाखा के विशेष पदाधिकारी के साथ गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

(ग) समिति द्वारा नियम-3 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप उपयुक्त पाये जाने पर संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी द्वारा लोक आपत्ति प्राप्त किया जायेगा। लोक आपत्ति नगर निकाय के सूचना-पट्ट एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर पन्द्रह दिनों के अन्दर प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त आपत्तियों के सन्दर्भ में पुनः समिति का बैठक में विचार किया जायेगा।

(घ) समिति के विचारोपरांत उपयुक्त पाये जाने पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के स्तर से भवन उपविधि (Building by-laws) के प्रावधानों के अनुरूप निर्माण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(क) धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall)/बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall), लॉज एवं होस्टल का झोरखण्ड राज्य के नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत नियम-4 के अन्तर्गति अनुमति प्राप्त कर निर्माण किये गये हों अथवा इस नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व से निर्मित हों, के उपयोग के पूर्व संबंधित नगर निकायों द्वारा अनुज्ञप्ति एक वर्ष के लिए निर्मित किया जायेगा।

(ख) शहरी स्थानीय क्षेत्र अंतर्गत वैसे सभी होटल, जहाँ धार्मिक एवं सामाजिक शक्ति-रिवाजा के अनुसार शादी एवं अन्य समारोहों के लिए विवाह भवन (Marriage Hall) बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall) की सुविधा उपलब्ध है, को उक्त विवाह भवन/बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall) के लिए संबंधित नगर निकायों द्वारा अनुज्ञप्ति एक वर्ष के लिए निर्मित किया जायेगा।

धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall)/बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall), लॉज एवं होस्टल के अनुज्ञप्ति की प्रक्रिया:-

(i) नियम-4 के अधीन निर्मित धर्मशाला, विवाह भवन/बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall), लॉज एवं होस्टल के अनुज्ञप्ति की प्रक्रिया:-

(क) नियम-4 के अधीन निर्मित भवन में धर्मशाला, विवाह भवन/बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall), लॉज एवं होस्टल के रूप में उपयोग करने के पूर्व संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी को अनुज्ञप्ति हेतु नगर निकाय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देगा।



- (ख) प्राप्त आवेदन पत्र पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी नगर निकाय में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञों से नियम-3 में निहित शर्तों के संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।
- (ग) जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु विचार किया जाएगा।
- (घ) समिति की अनुशंसा प्राप्त कर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति की कार्रवाई एक माह के भीतर पूरी की जायेगी।
- (ii) इस नियमावली के प्रभावों होने की तिथि के पूर्व से निर्मित धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall)/बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall), लॉज एवं हॉस्टल के अनुज्ञप्ति की प्रक्रिया—
- (क) पूर्व से निर्मित धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall)/बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall), लॉज एवं हॉस्टल के अनुज्ञप्ति के लिए संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी को नगर निकाय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देगा।
- (ख) प्राप्त आवेदन पत्र पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी नगर निकाय में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञों से नियम-3 में निहित शर्तों के संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।
- (ग) जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी द्वारा लोक आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। लोक आपत्ति नगर निकाय के सूचना पट्टे एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर पन्द्रह दिनों के अन्दर प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त आपत्तियों के संदर्भ में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को उक्त आशयित कर संपूर्ण मामले पर विचार किया जायेगा।
- (घ) समिति की अनुशंसा प्राप्त कर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति की कार्रवाई एक माह के भीतर पूरी की जायेगी।



7. अनुज्ञप्ति एवं नवीकरण का वार्षिक शुल्क निम्न दर से भवन मालिकों/संस्थाओं पर सरकारों/स्थानों द्वारा देय होगा जो निकाशों की श्रेणी के आधार पर निम्नवत् होगा-

क्र.सं.	भवन का प्रकार	निर्मित क्षेत्र (Built up area)	अनुज्ञप्ति का न्यूनतम वार्षिक शुल्क (रु. में)		
			नगर निगम	नगर परिषद	नगर पंचायत
1	धर्मशाला	5000 वर्गफीट तक	1,000/-	800	500
		5001 वर्गफीट से ऊपर	1,500/-	1,000	750
2	विवाह भवन (Marriage Hall) बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall)	5000 वर्गफीट तक	10,000/-	7,500	5,000
		5001 वर्गफीट से ऊपर	15,000/-	10,000	7,500
3	लीज	1-10 बेड	1,000/-	800	500
		11-20 बेड	1,500/-	1,200	750
		21-50 बेड	2,000/-	1,500	1,000
		50 से अधिक बेड	2,500/-	2,000	1,500
4	हॉस्टल	1-10 बेड	800/-	600	500
		11-20 बेड	1,000/-	800	600
		21-50 बेड	1,500/-	1,000	800
		50 से अधिक बेड	2,000/-	1,500	1,000

नोट-उपरोक्त दर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए भी वार्षिक रूप से देय होगी।

8. उपरोक्त नियम-7 में वर्णित न्यूनतम दरों के अतिरिक्त अगर शहरी स्थानीय निकाश यह अनुमति करता है कि शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत व्यवसायिक महत्व के आधार पर क्षेत्रवार न्यूनतम दर से अधिक निर्धारण किया जाना अपेक्षित है तो सम्पूर्ण बोर्ड को बेटक में ऐसा प्रस्ताव पारित करने हुए उस लागू किया जा सकता है, किन्तु ऐसी वृद्धि न्यूनतम निर्धारित दर का 25% से अधिक न हो।
9. राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय/माता विद्यालय/यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाये जा रहे हॉस्टलों से निबंधन शुल्क नगर निगम क्षेत्र में मात्र 1,000/- रुपये, नगर परिषद क्षेत्र में मात्र 750/- रुपये एवं नगर पंचायत क्षेत्र में मात्र 500/- रुपये नियत होंगे। इसके अतिरिक्त, किसी व्यक्ति अथवा गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा संचालित हॉस्टलों के लिए शुल्क नियम-7 में वर्णित दर के अनुसार देय होगा।
10. जिन भवन में धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall)/बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall), लीज एवं हॉस्टल चलाया जा रहा है, उस भाग के लिये हॉल्डिंग टैक्स आदि का निर्धारण झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 में विहित प्रावधानों के अनुसार व्यवसायिक भवन के अनुरूप ही किया जायेगा।
11. तकनीकी विशिष्टता एवं स्वास्थ्य विवेक्तों/पदाधिकारियों के जॉब के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall)/बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall), लीज एवं हॉस्टल के अनुज्ञप्ति का नवीकरण प्रत्येक वर्ष किया जा सकेगा।



12. अनुज्ञापि की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व अनुज्ञापि नवीकरण हेतु आवेदन दिया जायगा। निम्नलिखित अवधि तक नवीकरण नहीं कराया जाने में जिन दण्ड शुल्क के साथ अनुज्ञापि का नवीकरण किया जायगा—
- (क) एक माह विलम्ब होने पर— दण्ड शुल्क रु० 500 /— (पाँच सौ रुपये)
  - (ख) प्रत्येक तीन माह के विलम्ब पर— दण्ड शुल्क रु० 2,000 /— (दो हजार रुपये)
  - (ग) अनुज्ञापि अवधि समाप्त होने के एक वर्ष तक अनुज्ञापि का नवीकरण नहीं कराया जान पर अनुज्ञापि स्वतः प्रभाव से रद्द समझा जायगा एवं उसके समाप्त का पूर्णतः बंद कर दिया जायगा।
13. इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 03 (तीन) माह के अन्दर अनुज्ञापि प्राप्त नहीं करने पर ऐसे सभी धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall) / बैन्क्वेट हॉल (Banquet Hall) लॉज एवं होस्टल को अनाधिकृत घोषित कर उसके संचालन को पूर्णतः बन्द करने की कार्रवाई की जा सकती। धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall) / बैन्क्वेट हॉल (Banquet Hall), लॉज एवं होस्टल संचालन पर रोक के लिए मुख्य न्यायाधीश, पदाधिकारी / नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / निम्न पदाधिकारी / सहाय पदाधिकारी होंगे।
14. इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन लिये गये किसी नियम के विरुद्ध धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall) / बैन्क्वेट हॉल (Banquet Hall), लॉज एवं होस्टल संचालन अपील हेतु सक्षम अधिकार झारखण्ड संप्रतिकर पर्वत होंगे। संप्रतिकर पर्वत मोड़न नहीं रहने की स्थिति में अपील संबंधित प्रगंडलीय आयुक्त के समक्ष किया जायगा जिसके द्वारा अधिकतम एक माह के भीतर आदेश पारित किया जायगा।
15. सभी अनुज्ञापि प्राप्त धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall) / बैन्क्वेट हॉल (Banquet Hall) लॉज एवं होस्टल की सूची जिला प्रशासन एवं संबंधित क्षेत्र के थानों को अनुज्ञापि पदाधिकारी के स्तर से प्रेषित की जायेगी।
16. अनुज्ञापि पदाधिकारी स्वप्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर स्वयं अथवा विशेष पदाधिकारी के द्वारा धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall) / बैन्क्वेट हॉल (Banquet Hall) लॉज एवं होस्टल निरीक्षण कर या करा सकेंगे। निरीक्षण के क्रम में जिन मानकों पर अनुज्ञापि दिया गया है, उसके प्रतिकूल पाये जाने पर अनुज्ञापि पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञापि का रद्द करते हुए संचालन को बंद करने की कार्रवाई की जा सकती। परन्तु नये कार्रवाई के पूर्व अनुज्ञापिधारी को अपना पक्ष रखने में सुधार लाने का अवसर प्रदान किया जायगा।
17. न्याय सरकार की शक्ति— यदि इन नियमों को प्रभावी बनाने प्रथम विश्लेषण में किया जाय तो कार्रवाई उत्पन्न होती है, तो नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अंतर्गत मान्यता के अंतर्गत इस विषय पर कोई भी दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति राज्य सरकार की होगी।

\*\*\*\*\*